संख्या - 6/2026/306/सत्रह-म-2026-17-1099/55/2021

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊः दिनांक 16 फरवरी, 2026

विषयः उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन के सम्बंध में जारी मार्ग- निर्देश में संशोधन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 550/नि0शा0/म0पा0क0को0/ 2025-26 दिनांक 22.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 6/ 2023 / 270/सत्रह- म-2023-17- 1099/55/2021 दिनांक 06.03.2023 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-3/2025/138/सत्रह-म-2025-17-1099/55/2021 दिनांक 27.01.2025 में पंचायती राज विभाग, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0- 499 133-3-2025-33-3099/63/2025 दिनांक 22.05.2025 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार प्रदेश के ग्रामीण आबादी को उचित दर पर मांगलिक कार्यक्रम यथा विवाह, मुण्डन एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाली प्रत्येक विधान सभा में एक पंचायत उत्सव भवन की अनुमानित लागत रु 1.41 करोड़ आकलित की गयी है, के आधार पर मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक/मछुआरा बाहुल्य ग्रामों में सार्वजनिक उपयोग हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु उपरोक्त शासनादेश में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्याः 6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021, दिनांक 06 मार्च 2023, 3/2025/138/सत्रह-म-2025-17-1099/55/2021, दिनांक 27 जनवरी, 2025 एवं 26/2025/616/सत्रह-म-2025-17-1099/55/2021, दिनांक 22 सितंबर, 2025 द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देश शासनादेश के प्रस्तर संख्या 2(21)(अ) में उल्लिखित मार्ग-निर्देश में युक्तियुक्त संशोधन करते हुए उ0प्र0 मत्स्य पालन कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत व्यवस्था निर्धारित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

शासनादेश प्रस्तर संख्या	पूर्व व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
2(21) (अ)	मत्स्य पालक/मछुआरा बाहुल्य ग्रामों में ऐसी अवसंचरनात्मक सुविधाओं, जिसमें सामुदायिक भवन का निर्माण भी सम्मिलित है- 1-पंचायती राज विभाग, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश स० 1075/33-3-2016-182/2013 दिनांक 27 मई, 2016 व 30/2020/1594/33-3-2020- 33/ 2020 दिनांक 29.06.2020 एवं 181-4/33-3-2020-182/2018 टी. सी. दिनांक 22.07.2020 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाता है। पंचायत विभाग द्वारा बहुउददेशीय पंचायत भवन निर्माण की भूकम्परोधी सहित लागत रु० 18.03 लाख निर्धारित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है। मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक/मछुआरा बाहुल्य ग्रामों में सार्वजनिक उपयोग हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जायेगा।	मत्स्य पालक/मछुआरा बाहुल्य ग्रामों में ऐसी अवसंचरनात्मक सुविधाओं, जिसमें सामुदायिक भवन का निर्माण **एवं सोलर लाइट/हाई मास्ट लाइट की स्थापना** भी सम्मिलित है- 1- पंचायती राज विभाग, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश स० 1075/33-3-2016-182/2013 दिनांक 27 मई, 2016 व 30/2020/1594/33-3-2020- 33/ 2020 दिनांक 29.06.2020 एवं 181-4/33-3-2020-182/2018 टी. सी. दिनांक 22.07.2020 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाता है। पंचायत विभाग द्वारा बहुउददेशीय पंचायत भवन निर्माण की भूकम्परोधी सहित लागत रु० 18.03 लाख निर्धारित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है। मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक/मछुआरा बाहुल्य ग्रामों में सार्वजनिक उपयोग हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जायेगा। प्रश्नगत शासनादेश में भविष्य में होने वाला कोई भी संसोधन स्वतः प्रभावी होगा। 2- पंचायती राज विभाग, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश स० 499-33-3-2025-33-3099/63/2025 दिनांक 22.05.2025 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण आबादी को उचित दर पर मांगलिक कार्यक्रम यथा विवाह, मुण्डन एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रदेश के

चयन प्रक्रिया-

अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवनों का निर्माण कराने हेतु आवश्यकता एवं उपयोगिता का उल्लेख करते हुए ग्राम सभा द्वारा खुली बैठक में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त प्रस्ताव आफलाइन माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। प्रस्ताव में उपयुक्त स्थल चयन का भी उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित स्थल का संयुक्त निरीक्षण राजस्व अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित लेखपाल, मत्स्य विकास अधिकारी/ मत्स्य निरीक्षक तथा खण्ड विकास अधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा स्थल की उपयुक्तता एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं/सामुदायिक भवन की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवन निर्माण हेतु ग्राम एवं चयनित स्थल का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

कार्यदायी संस्था-

कार्यदायी संस्था का चयन मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वित विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

निर्माण लागत-

अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण लोक निर्माण विभाग की दर-अनुसूची के अनुसार किसी प्राधिकृत सरकारी अभिकरण द्वारा प्रस्तुत अनुमानित सीमा तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा। भवन में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत संयोज़न / सौर ऊर्जा संयत्र, शौचालय, पीने का पानी आदि मूलभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत आगणन तैयार किया जायेगा। निर्माण की इकाई लागत वास्तविक आगणन के अनुसार होगी।

ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाली प्रत्येक विधान सभा में एक पंचायत उत्सव भवन का निर्माण कराया जायेगा। प्रत्येक पंचायत उत्सव भवन की अनुमानित लागत रु 1.41 करोड़ निर्धारित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है। मत्स्य पालक कल्याण कोष अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाली प्रत्येक विधान सभा में मत्स्य पालक / मछुआरा बाहुल्य ग्रामों में से एक ग्राम में सार्वजनिक उपयोग हेतु मछुआ उत्सव भवन का निर्माण कराया जायेगा। प्रश्नगत शासनादेश में भविष्य में होने वाला कोई भी संसोधन स्वतः प्रभावी होगा।

चयन प्रक्रिया-

मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक / मछुआरा बाहुल्य ग्राम में सार्वजनिक उपयोग हेतु मछुआ उत्सव भवन के निर्माण हेतु स्थल का चयन एवं अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित निम्न समिति द्वारा किया जायेगाः-

1-जिलाधिकारी- अध्यक्ष

2-मुख्य विकास अधिकारी- सदस्य

3-जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी- सदस्य

4-अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत- सदस्य

5- अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०- सदस्य

6- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत- सदस्य

7- जिला पंचायत राज अधिकारी- सदस्य

8- सहायक निदेशक मत्स्य / जनपदीय मत्स्य अधिकारी - सदस्य/ सचिव

		निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवन को सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा जिसकी देख-रेख एवं अनुरक्षण ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। मत्स्य पालक/ मछुआरों द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसे-कार्यशाला, गोष्ठी, वैवाहिक कार्यक्रम आदि हेतु प्रयोग किया जायेगा जिसे ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित किया जायेगा।	**कार्यदायी संस्था-** कार्यदायी संस्था का चयन मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वित विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा। **निर्माण लागत / मानक -** उत्सव भवन का मानक प्लान पंचायती राज विभाग, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश स० 499 133-3-2025-33-3099/63/ 2025 दिनांक 22.05.2025 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार होगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर मछुआ उत्सव भवन को सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा जिसकी देख-रेख एवं अनुरक्षण ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। मत्स्य पालक/ मछुआरों द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसे- कार्यशाला, गोष्ठी एवं मांगलिक कार्यक्रम यथा विवाह, मुण्डन एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रयोग किया जायेगा जिसे ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित किया जायेगा।

3- शासनादेश संख्याः 6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021, दिनांक 06 मार्च 2023, 3/2025/138/सत्रह-म-2025-17-1099/55/2021, दिनांक 27 जनवरी, 2025 एवं 26/2025/616/सत्रह-म-2025-17-1099/55/2021, दिनांक 22 सितंबर, 2025 द्वारा मार्ग-निर्देश में संशोधन के सम्बंध में उक्त नियमावली में अंकित उददेश्य / शर्तो/ मानकों के निर्धारण / संचालन आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राविधानित बजट की सीमान्तर्गत भौतिक लक्ष्यों का निर्णारण करते हुए योजना के संचालन पर आने वाला व्यय भार बजट प्राविधान की सीमान्तर्गत् रहेगा तथा घटकवार देय धनराशि का सत्यापन घटकों से सम्बंधित विभाग से कराया जायेगा। उपरोक्त शासनादेश में संशोधन हेतु निर्धारित सक्षम स्तर का

अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

4- प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा में मछुआ बाहुल्य ग्रामों में प्रस्तावित मछुवा उत्सव भवन किसी अन्य योजनान्तर्गत संपादित न कराये गये हो, की स्थिति में ही कोष के माध्यम से सहायता प्राप्त करते हुए कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक /मछुआरा बाहुल्य ग्रामों में अवसरंचनात्मक सुविधाओं की स्थापना हेतु मत्स्य विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा में मछुआ बाहुल्य ग्रामों में मछुवा उत्सव भवन, जहाँ वास्तव में आवश्यकता हो, उन्ही का चयन किया जायें। यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व महानिदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का का होगा।

4- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजना के संचालन में द्विरावृत्ति न हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 09-02-2026 16:28:50

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव।

6/2026/306
संख्या- / सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, नियोजन/सिंचाई/ ग्राम्य विकास/ वित्त/ कृषि/ पंचायतीराज/ संस्थागत वित्त/ कार्मिक/ खाद्य प्रसंस्करण / राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद तेलंगाना।
5- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
8- निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
9- समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बडौदा उ0प्र0 लखनऊ।
10- समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 ।
11- समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0।
12- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम चरन राम)
अनु सचिव।